INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

[भाग -7]

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 7

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “**RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp Link- https://wa.link/uwc5lp

Online Order Link- https://bit.ly/3X6MGue

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023)

	भारतीय संविधान, राजव्यवस्था और विश्व राजनीति	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	संविधान निर्माण • राजव्यवस्था का परिचय • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • संविधान सभा • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	1-12
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ • विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या • भारतीय संविधान के स्त्रोत • भारतीय संविधान के आलोचनात्मक तथ्य • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	13-20
3.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया • साधारण बहुमत • विशेष बहुमत • संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति • प्रमुख संशोधन • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न • मूल ढांचा (बुनियादी संरचना)	20-30
4.	उद्धेशिका (प्रस्तावना)	32-41

	• प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों की व्याख्या • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
5.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • मौलिक अधिकारों की व्याख्या • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मूल अधिकारों के महत्व • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	42-56
6.	नीति निदेशक तत्व • नीति निदेशक तत्व की व्याख्या • मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में अन्तर • नीति निदेशक तत्वों की कुछ टिप्पणी • नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ • मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्वों में टकराव • नीति निदेशक तत्वों की आलोचना • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	56-64
7.	मूल कर्त्तव्य • मूल कर्तव्यों की विशेषताएं • मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण • मूल कर्तव्यों से सम्बंधित समितियां • मूल कर्तव्यों की आलोचना • प्रासंगिकता • मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव	64-72

	• सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
8.	राष्ट्रपति • कार्यपालिका का प्रमुख • स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका • राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएं • निर्वाचन प्रणाली • निर्वाचन से संबंधित विवाद • राष्ट्रपति पर महाभियोग • राष्ट्रपति के कार्य / शक्तियां • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति • उपराष्ट्रपति से सम्बंधित तथ्य • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	73-101
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् • प्रधानमंत्री की नियुक्ति • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य • सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली • प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव • प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन • मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल • मंत्रिपरिषद् की संरचना • मंत्रिपरिषद् के कार्य • मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व • प्रधानमंत्री की भूमिका • किचन कैबिनेट	101-111

	• वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने • मंत्रिपरिषद और मंत्रीमंडल में अन्तर • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
10.	भारतीय संसद • लोकसभा • राज्यसभा • संसद में नेता • विपक्ष का नेता • संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108 • संसदो की निर्हताएँ • सांसदों के विशेषाधिकार • सचेतक / Whip • भारत की लोकसभायें • संसद की कार्यवाही • कार्य मन्त्रणा समिति • Lame Duck • बजट का प्रस्तुतीकरण • धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110) • अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	112-128
11.	केन्द्र- राज्य सम्बन्ध • विधायी संबंध • प्रशासनिक संबंध	128-131

	• वित्तीय संबंध • केन्द्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होने के कारण • केन्द्र - राज्य समक्षों ने सुधार के उद्देश्य से गठित आयोग • केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
12.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनाविलोकन • अनुच्छेद – 124 • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया • सुप्रीम कोर्ट की भूमिका • राष्ट्रपति का सलाहकार • उच्च न्यायालय • न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा • मुख्य न्यायधीश रमन्ना की न्यायिक समीक्षा पर टिप्पणी • संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता संघर्ष • न्यायिक सक्रियता • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	131-147
13.	निर्वाचन आयोग	147-154

	• सरंचना • प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त • आयोग के सदस्यों की पदावधि तथा पद से हटाया जाना • बहुसदस्यी निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति • निर्वाचन आयोग का कार्य • वयस्क मताधिकार का सिद्धांत (अनु. 326) • चुनाव सुधार समस्याएं और समाधान की संभावनाएं • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
14.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • अनुच्छेद – 148 -151 • नियुक्ति की शर्तें • शक्तियां एवं कार्य • CAG की भूमिका • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	154-157
15.	नीति आयोग • नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य • नीति आयोग के कार्य • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	158-161

16.	केंद्रीय सतर्कता आयोग • पृष्ठभूमि • संरचना • कार्य • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 • CVC की सीमाएँ • निष्कर्ष • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	161-168
17.	संघ लोक सेवा आयोग • संघ लोक सेवा आयोग से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल व पदच्युति • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य • सीमाएं • आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति	168-170
18.	लोकपाल • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • लोकपाल की आवश्यकता • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 • लोकपाल की संरचना • लोकपाल का अधिकार - क्षेत्र	170-173

	• लोकपाल की शक्तियाँ • निष्कर्ष • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
19.	केंद्रीय सूचना आयोग • सूचना का अधिकार • केंद्रीय सूचना आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना • कार्यकाल एवं सेवा शर्तें • केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य • सूचना प्राप्त करने के आवेदन कैसे दाखिल किया जाता है • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	174-179
20.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य • आयोग की कार्य प्रणाली • आयोग की भूमिका • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	180-182
21.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति • राजनीतिक दल • राजनैतिक दलों की भूमिका/कार्य	183-188

	• चुनौतियाँ • बहुदलीय प्रणाली • भारत में दलीय व्यवस्था के गुण • दल बनाना तथा दल बदल • राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को मान्यता • राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए दशाएँ • राज्य स्तरीय दलों को मान्यता • वर्तमान में राष्ट्रीय दल • दल परिवर्तन कानून • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
22.	गठबंधन सरकारें • भूमिका • गठबंधन सरकार के फायदे • गठबंधन सरकार से नुकसान या हानि • भारत पृष्ठ भूमि में गठबंधन सरकार • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	189-194
23.	राष्ट्रीय एकीकरण • विभिन्न राज्यों का विलय • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	195-209
24.	राजनीतिक गत्यात्मकताएं • भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका,	209-217

	• राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, • नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन, • राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, • सामाजिक- राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	
25.	राजस्थान की राज्य राजनीति • राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय) • राज्यपाल • मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् • राज्य विधान मण्डल व विधानसभा • उच्च न्यायालय • जिला प्रशासन • स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था • राजस्थान लोक सेवा आयोग • राज्य मानवाधिकार आयोग • लोकायुक्त • राज्य निर्वाचन आयोग • राज्य सूचना आयोग • लोकनीति • विधिक अधिकार • नागरिक अधिकार - पत्र घोषणा पत्र • सारांश • प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	218-301
	विश्व राजनीति	

1.	शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था • संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध • संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, • अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता • अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	301-314
2.	भारत की विदेश नीति • उद्विकास, • निर्धारक तत्व, • संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध • संयुक्त राष्ट्र • गुट निरपेक्ष आंदोलन, • ब्रिक्स, जी- 20, जी-77 एवं सार्क में भारत की भूमिका • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	314-349
3.	दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक • रणनीतिक मुद्दे • उनका भारत पर प्रभाव • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न	349-352

अध्याय – 1

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।**

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं।**

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं | कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है | विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है | न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है | इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं | इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं |

- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है | भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है | इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें | **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें |

शासन प्रणालियों के विभिन्न

प्रकार -1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है | शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं |

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि-कोणों से भी किया जा सकता है | दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(1). केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-
(a). परिसंघात्मक प्रणाली
(b). संघात्मक प्रणाली
(c). एकात्मक प्रणाली

(2). विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-
(a). संसदीय प्रणाली
(b). अध्यक्षीय प्रणाली

भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी|

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था |

- **परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य**
- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं |
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं |
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली हैं |
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं |
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को '**अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन**' कहा जाता है|
- संघात्मक शासन प्रणाली को '**अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन**' कहा जाता है | संघात्मक से

सरदार वल्लभभाई पटेल	-	गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	-	खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	-	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	-	रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	-	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	-	विधि
जगजीवन राम	-	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	-	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	-	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	-	वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	-	संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	-	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	-	कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** | मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी | इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी |
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी | आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था |
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था | यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) |
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था |
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था |

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी | उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए | इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली | देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर

पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।
आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

5. **निर्वाचन पद्धति :-** एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति

कुल सदस्य

- ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित)
  - 292 प्रांतों से
  - उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
    - दिल्ली
    - अजमेर मेरवाड़ा
    - कुर्ग
    - बलुचिस्तान
- देशी रियासत (93 सीट) (मनोनीत सदस्य)
  - जयपुर - 3 सदस्य
  - जोधपुर - 2 सदस्य
  - उदयपुर - 2 सदस्य
  - बीकानेर - 1 सदस्य
  - कोटा - 1 सदस्य
  - अलवर - 1 सदस्य

<u>**उद्देश्य प्रस्ताव**</u> :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया । 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया । संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे । यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया ।

<u>**संविधान सभा की कार्य प्रणाली**</u>

अस्थायी अध्यक्ष	-	सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	-	डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। \

<u>**संविधान सभा के अन्य कार्य**</u>

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**

C. गवर्नर जनरल
D. प्रांतीय गवर्नर

उत्तर - C

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919
B. भारत शासन अधिनियम, 1935
C. भारत परिषद् अधिनियम,1909
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर - A

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?

A. मार्ले-मिंटो सुधार
B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार
C. रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड
D. नेहरू रिपोर्ट

उत्तर - B

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं?

1. भारत में परिषदों का उन्मूलन
2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका
3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन
4. संघीय न्यायालय की स्थापना

A. 2 एवं 3 B. 1, 2, एवं 3
B. 1, 3 एवं D. 1,2, 3, 4

उत्तर - D

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773
B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर - A

<u>गत परीक्षाओं में आये हुये प्रश्न :-</u>

1. उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए? (RAS - 2021)
2. "आजाद भारत का पहला राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। " केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए (RAS - 2021)

***अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-**

1. संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है ' प्रसांगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से " संवैधानिक नैतिकता " के सिद्धांत ' का वर्णन कीजिए?
2. संविधान का सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था विचार करें ?
3. 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका का वर्णन करें ?
4. क्या भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता त्याग देनी चाहिए ?
5. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का वर्णन कीजिए?
6. पिट्स इंडिया एक्ट को समझाइये?
7. सम्प्रदायिक अवार्ड का वर्णन कीजिए?
8. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना कीजिए ?

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

7. निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
B. जवाहरलाल नेहरू
C. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
D. सरदार पटेल
उत्तर - C

*** गत परीक्षाओं में आये हुए महत्वपूर्ण प्रश्न :-**

प्रश्न 1. भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मातृत्व की व्याख्या कीजिए? (RAS - 2021)
2. भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या ग्रहण किया? विवेचना कीजिए (RAS - 2013)
3. भारत में एकात्मक विशेषताओं सहित संघात्मक राज्य है? टिप्पणी करें? (RAS - 2013)
4. " कई चुनौतियों के बावजूद, भारत एक शक्तिशाली एवं एकीकृत राष्ट्र " रहेगा वे कौनसे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, एवं आर्थिक घटक हैं जो भारतीय एकता को सशक्त बनाते हैं? विवेचना कीजिए? (RAS - 2013)

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न 1. भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए?
प्रश्न 2. संविधान का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए?
प्रश्न 3. भारत का उल्लेख राज्य के संघ के रूप में किया गया है उल्लेख कीजिए?
प्रश्न 4. प्रान्तीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समझाइये?
प्रश्न 5. भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता को समझाइये?
प्रश्न 6. भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन - कॉपी कहा है ? विवेचना कीजिए?
प्रश्न 7. सरकार के संसदीय स्वरूप को समझाइये?
प्रश्न 8. भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए?
प्रश्न 9. भारत और ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की तुलना करें और इनमें अंतर करें ?

अध्याय – 3

संविधान संशोधन

- भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। संविधान के भाग XX में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। (अनुच्छेद 368)
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और न ही यूएसए के समान कठोर। यह दोनों का सम्मिलित रूप है। **संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है।** (केशवानन्द भारती वाद, 1973)
- संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं।
- अनुच्छेद 368 को 24वें और 42वें संशोधन द्वारा क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण निर्णय : केशवानन्द भारती वाद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे" में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

विधेयक की प्रस्तुति	संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
कौन प्रस्तुत कर सकता है ?	इसे मंत्री या किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की भूमिका	ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत	विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत । (50% + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3)
सदन द्वारा पारित किया जाना	दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है ।
संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108)	संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
संघात्मक प्रावधानों में संशोधन	विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति

विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका	24वां संविधान संशोधन- इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। साथ ही संसद, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है।
संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका	राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

साधारण बहुमत	**विशेष बहुमत**	**संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति**
• प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं सदन के कुल सदस्यों का बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत • यह एक सामान्य कानून पारित करने के ही समान है। • ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के · तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। • उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च नयायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गयी है।	• सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (रिक्तियाँ और अनुपस्थितों सहित) और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत • उदाहरण: 103 संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण।	• विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति । • ज्यादातर संघीय प्रावधानों को इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है। • उदाहरण: जीएसटी से संबंधित 101वां संशोधन

प्रश्न. निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए -

कथन (A) - सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए

कारण (R) - जिन राजनीतिक दलों ने केन्द्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

कूट -

a. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R) A की सही व्याख्या नहीं करता है।

b. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R) A की सही व्याख्या करता है।

c. (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

d. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर - B

विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार

- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
- दूसरी अनुसूची (वेतन, भते और विशेषाधिकार)
- राज्यों में विधान परिषद् का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
- संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
- संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
- संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
- संसद में अंग्रेजी का उपयोग
- सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या

प्रश्न. निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था -

A. 54 वाँ **B. 55 वाँ**
C. 52 वाँ **D. 53 वाँ**

उत्तर - D

साधारण बहुमत

- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
- सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
- आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)
- छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेश
- पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत आधे + राज्यों की सहमति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
- केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 368

प्रश्न. संविधान संशोधन (91वें) अधिनियम, 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए?

A. विधानसभा की कुल सदस्यों का 10%

B. विधानसभा की कुल सदस्यों का 12%

C. विधानसभा की कुल सदस्यों का 15%

D. विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%

उत्तर - C.

सारांश

- भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है।
- दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान न तो लचीला है, और न ही कठोर यद्यपि देशों का समिश्रण है।
- संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं।
- विधेयक को किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
- विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए।
- प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है।
- यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत् हो ।
- संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहाँ आवश्यक हो, फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देगें । वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं।
- राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है (संविधान संशोधन अधिनियम) और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है।
- संविधान संशोधन तीन प्रकार से (i) संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन (ii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन (iii) संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन।
- 24 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया ।
- अमेरिका में भी कांग्रेस (अमेरिकी विधायिका) द्वारा दो तिहाई राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

- **अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न**

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है-

A. संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से
B. संविधान में संशोधन के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से
C. संसद में दो तिहाई बहुमत द्वारा तथा कम से कम दो तिहाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
D. संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा

उत्तर - C

2. एक संवैधानिक संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा एक संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन भी कराना पड़ता है अगर इसका आशय किसी प्रकार का परिवर्तन करना है -

A. मौलिक अधिकारों में
B. नीति निर्देशक सिद्धांतों में
C. मौलिक कर्तव्यों में
D. उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधानों में

उत्तर - D

3. एक संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य एक नये राज्य का सृजन है अवश्यमेव पारित होना चाहिए।

A. संसद में साधारण बहुमत द्वारा
B. संसद में साधारण बहुमत द्वारा तथा कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन

C. संसद में दो-तिहाई बहुमत द्वारा तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
D. संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई उपस्थित एवं मतदान वाले सदस्यों द्वारा

4. संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?

A. भाग -I अनुक्रमांक -3
B. भाग VIII, अनुक्रमांक -239
C. मात्र - XVI, अनुक्रमांक- 336
D. भाग - XX, अनुक्रमांक - 368
उत्तर - D

5. भारतीय संविधान की कौनसी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है?

A. संसदीय प्रणाली
B. मूल अधिकार
C. संविधान संशोधन
D. मूल कर्तव्य

उत्तर - C

6. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है?

A. 2
B.3
C. 6
D. 9
उत्तर - B

7. संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है -

A. संसद में
B. लोकसभा
C. राज्यसभा
D. विधानमंडल

उत्तर - A

8. सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था?

A. 15 वाँ संशोधन
B. 21 वाँ संशोधन
C. 24 वाँ संशोधन
D. 31 वाँ संशोधन

उत्तर - C

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न 1. अनुच्छेद 338 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस संशोधन प्रक्रिया की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है। (150 शब्द)

प्रश्न 2. संविधान में संशोधन हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ?

प्रश्न 3. संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए?

प्रश्न 4. 42 वें संविधान संशोधन को mini constitution कहा जाता है उल्लेख कीजिए?

प्रश्न 5. केशवानंद भारती वाद को समझाइये?

प्रश्न 6. 73वें संविधान संशोधन की विवेचना कीजिए?

प्रश्न 7. 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान का सरोकार किस विषय से है व्याख्या करो?

प्रश्न 8. संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए?

प्रश्न 9. संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित कीजिए?

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

❖ मूल ढांचा

बुनियादी संरचना के विकास

"बेसिक स्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा)" शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय-समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुयी।

संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार-तत्त्व, जो जनमानस के विकास के लिये आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

यद्यपि संविधान में आधारभूत ढाँचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्टतः समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़ कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु. 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायालय का एक तर्क यह था कि संविधान सभा का महत्त्व वर्तमान विधायिका की तुलना में अधिक है, इसलिए विधायिका संविधान के सार-तत्त्व को नहीं बदल सकती। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्त्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है।

आगे, न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में इसे महत्त्व प्रदान करते हुए कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग बताया गया। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है :-

- इंदिरा गाँधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान की आधारभूत अवसंरचना का भाग माना गया।
- मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया।
- उसी प्रकार सेन्ट्रल कोलफील्ड मामले में 'न्याय तक प्रभावी पहुँच', भामसिंह जी मामले में 'कल्याणकारी राज्य की अवधारणा' तथा इंदिरा साहिनी मामले में कानून के शासन को आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया।
- आधारभूत ढाँचे के निर्णय में एस. आर. बॉम्बे मामला एक मील का पत्थर है। इसमें न्यायालय ने संघवाद, लोकतंत्र, 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' तथा सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को महत्त्व प्रदान किया।

वास्तव में संविधान में आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किये जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है। विवेकाधीन शक्ति होने के कारण यह सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। उदाहरण के लिये हाल में ही न्यायपालिका द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को संविधान के आधारभूत ढाँचे के विरुद्ध बताना विवाद का विषय है, क्योंकि न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है।

किन्तु, इसे सीमा मान कर संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता है। यह विधायिका की संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित कर विधायिका की निरंकुशता से बचाता है और लोकतंत्र के आधार को सुदृढ़ करता है।

संविधान की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- संविधान की सर्वोच्चता
- सरकार की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रपत्र
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- संविधान का संघीय चरित्र
- शक्तिओं का विभाजन
- एकता और भारत की संप्रभुता
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

क्र. सं.	मामला	सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

अध्याय – 10
भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

- 'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रुपान्तरण है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है।
- लैटिन भाषी लोग इसे भोजन के बाद की जाने वाली वार्ताओं के लिए प्रयोग करते थे। यह वार्ता पादरी लोग अपने-अपने पूजा गृहों में करते थे और इन वार्ताओं को 13वीं सदी की एकलवादी सरकारों ने 'गरिमाविहीन' कहकर निंदा की थी।
- मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्लों, और लार्डों की महान परिषद् के लिए प्रयोग किया था।
- तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।

प्रश्न. कथन (A) भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना था।

कारण (R) विविधताओं के संमजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है

कूट -

A. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), A) की सही व्याख्या करता है।

B. (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), A) की सही व्याख्या नही करता है।

C. (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

D. (A) गलत है परन्तु (R)सही है।

उत्तर :-A

- **भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं।**
- एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं।
- जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी।
- संभवतः इन्हीं कारणों से **महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'**
- भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे।
- राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं।
- राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है।
- परम्परागत रूप में ऐसा माना जाता है कि लोक सभा में जनता द्वारा चुनकर ऐसे लोग आते हैं जो लोकप्रिय तो हाते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अत्यंत योग्य एवं विद्वान ही हों, इसमें ऐसे लोग भी प्रायः आते रहे हैं जिनके पास अत्यंत मामूली किताबी ज्ञान भी न रहा हो,
- जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, अतः उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य तथा जानकार होंगे, इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।
- विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहां से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं।
- चूंकि अधिकांश विध 'यक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं।
- अतः विधेयेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।
- प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है।

- चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।
- **अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है।**
- **कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' का रूप धारण करता है।**

प्रश्न. निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है ?

(A) लोकसभा **(B) राज्यसभा**

(C) विधान परिषद् **(D) विधानसभा**

उत्तर :-C

- संसद से पारित हुए विधेयकों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि, राष्ट्रपति ने उसपर अपनी सहमति न दे दी हो।

लोकसभा

- **प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था।** लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के दो अनच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है।
- लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है । इसे **'लोकप्रिय सदन'** या निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।
- **लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं ।** लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है **इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।**
- **लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है ।** इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन 2026 तक बनी रहेगी।
- परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है । **न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।**
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में

निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
4. वह पागल / दिवालिया न हो ।

- नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है । लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा की दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

- ***लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।***
- ***आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।***

अधिवेशन

- *लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए*
- *लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए।*
- *अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहूत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।*

विशेष अधिवेशन

- *राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है।*
- ***जब लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कम से कम 110 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दें या जब अधिवेशन चल रहा हो, तब लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना दें।***
- ***ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है।***
- *ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभाध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं।*

लोकसभाध्यक्ष *- लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -*

- *लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।*
- *लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।*
- ***लोकसभाध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।***
- *लोकसभाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।*
- *कार्यकारी अध्यक्ष जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का सदस्य होता है।*
- *आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।* ***लोकसभाध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है।***
- ***लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।***
- *लोकसभाध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा के संबंध में काफ़ी अधिक हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-*

राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	80	2. महाराष्ट्र	48
3. पश्चिम बंगाल	42	4. बिहार	40
5. तमिलनाडु	39	6. मध्य प्रदेश	29
7. कर्नाटक	28	8. गुजरात	26
9. राजस्थान	25	10. आंध्र प्रदेश	25
11. ओडिशा	21	12.केरल	20
13. तेलंगाना	17	14. असम	14
15. झारखण्ड	14	16. पंजाब	13
17. छत्तीसगढ़	11	18. हरियाणा	10
19. जम्मू / कश्मीर	6	20. उत्तराखण्ड	5
21. हिमाचल प्रदेश	4	22.आंध्रप्रदेश	2
23. गोवा	2	24. मणिपुर	2
25. मेघालय	2	26. त्रिपुरा	2
27. मिजोरम	1	28. नागालैंड	1
29. सिक्किम	1		

केन्द्रशासित प्रदेशलोकसभा सदस्यों की संख्या

1. दिल्ली	7	2. अंडमान निकोबार	1
3. चण्डीगढ़	1	4 . दादरा / नागर हवेली	1
5. दमन एवं दीव	1	6. लक्षद्वीप	1
7. पुदुचेरी	1	8. जन्मुकश्मीर	5
9 लद्दाख	1		

क्षमा नहीं करे तो उसकी दल की सदस्यता समाप्त हो जाती है ।

- परिसीमन [Delimi]- "किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचित मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाना ही परिसीमन कहलाता है।
- **1952, 63, 73, 2003. में परिसीमन किया जा चुका है।**
- **2026 तक राज्य वार लोकसभा सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी ।**
- वर्तमान में तेलंगाना की "मलकांन गिरी" सर्वाधिक मतदाताओं वाली लोकसभा सीट है।
- लक्षद्वीप में न्यूनतम मतदाता हैं।

राज्यसभा	**लोकसभा**
(1) "अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्यसभा को नयी "अखिल भारतीय योजना के गठन का अधिकार है।	मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
(2) अनुच्छेद 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीयता महत्वता घोषित कर सकती हैं इस स्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल सकता हैं	धन विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में पुनः गठित के अनुसार किये जाते हैं।

संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108

- कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदनो द्वारा पारित कर दिया जाए।
- "किसी भी विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। (धन विधेयक को छोड़कर)
- यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जायें अथवा 6 माह तक रोक लिया जाये तो इस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती हैं। संयुक्त बैठक में वह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। उसकी अनुपस्थिती में लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अथवा किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा सकती हैं।

परन्तु उपराष्ट्रपति किसी भी स्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करता

संसदो की निरर्हताएँ:-

- अनुच्छेद- 102 में संसदों की निरर्हता का उल्लेख हैं । इस सन्दर्भ में कोई भी मुकदमा सबसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।
- अनुच्छेद- 103 में संसदो की निरर्हता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
- अनुच्छेद- 101 यदि कोई सदस्य लगातार 60 बैठकों से अनुपस्थिति रहता हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।
- सु ब्रह्मण्यम स्वामी की सदस्यता आपातकाल इसी के तहत समाप्त की गयी थी।
- 1954 में H.G. बुडुगतल ने रिश्वत लेने के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा लिया था ।
- ऑपरेशन चक्रव्यूह व ऑपरेशन दुर्योधन के दौरान भी लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

सांसदों के विशेषाधिकार (Act-105)

अनुच्छेद - 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं । सांसदों को संसद में या उसकी बैठकों में अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दी गयी हैं। संसद तथा संसदीय बैठकों में कही गई कोई बात पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हैं।

सांसदों के व्यक्तिगत आचरण पर आरोप नहीं किया जा सकता। (इसी आधार पर आर.के. करंजिया को दण्डित किया गया था)

- सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्च्यात दीवानी मसलो पर सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।
- सत्र के दौरान आपराधिक मसलो में भी स्पीकर की अनुमति के बगैर सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

कोरम – किसी भी सदन की बैठक उस स्थिति में संचालित [अनु. 100 (iii)] की जा सकती हैं, **जब सदन की कुल संदस्य संख्या का 10% उपस्थित हों। यही कोरम हैं।**

लोकसभा व राज्यपाल के नियमानुसार कोरम हेतु 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है ।

- **अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न**

1. भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है ?
   (A) लोकसभा (B) राज्यसभा
   (C) प्रतिनिधि सभा (D) संसद
   उत्तर :-D

2. भारतीय संसद के कितने सदन हैं ?
   (A) एक (B) दो
   (C) तीन (D) चार
   उत्तर:-B

3. संसद के स्थायी सदन हैं ?
   (A) लोकसभा (B) राज्यसभा
   (C) उपयुक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
   उत्तर:-B

4. भारतीय संसद बनती है?
   (A) केवल लोकसभा द्वारा
   (B) राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा
   (C) लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा
   (D) लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा
   उत्तर :- (D)

5. निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है ?
   (A) राष्ट्रपति (B) उपराष्ट्रपति
   (C) लोकसभा (D) राज्यसभा
   उत्तर:-B

6. राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है ?
   (A) राज्यसभा एक स्थायी निकाय है
   (B) इसमें 3 अप्रैल 1952 को विधिवत् बनाया गया था।
   (C) राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
   (D) राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं।
   उत्तर :-D

7. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है?
   (A) राष्ट्रपति (B) उपराष्ट्रपति
   (C) प्रधानमंत्री (D) लोकसभा अध्यक्ष
   उत्तर:-D

8. निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है।
   (A) महाराष्ट्र (B) बिहार
   (C) प. बंगाल (D) आंध्र प्रदेश
   उत्तर :-C

9. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं।
   (A) राज्यसभा के चुने हुए सदस्य
   (B) लोकसभा के चुने हुए सदस्य
   (C) लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य
   (D) लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य
   उत्तर :-D

गत परीक्षा में आये हुए प्रश्न :-

प्रश्न :- 1 अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को स्पष्ट करें? (RAS - 2018)

प्रश्न - 2 धन विधेयक को परिभाषित करें? (RAS - 2016)

- **अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-**

प्रश्न - 1 संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में राज्यसभा की भूमिका पर चर्चा कीजिए?

प्रश्न - 2 क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिये समान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपर्युक्त उदाहरणों के

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 25
राजस्थान की राज्य राजनीति
राज्य की राजनीतिक व्यवस्था
(परिचय)

राज्य की परिभाषा –

अरस्तु के अनुसार -"राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो के शब्दों में - " राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

वुडरो विल्सन – "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

ब्लंशली – "किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"

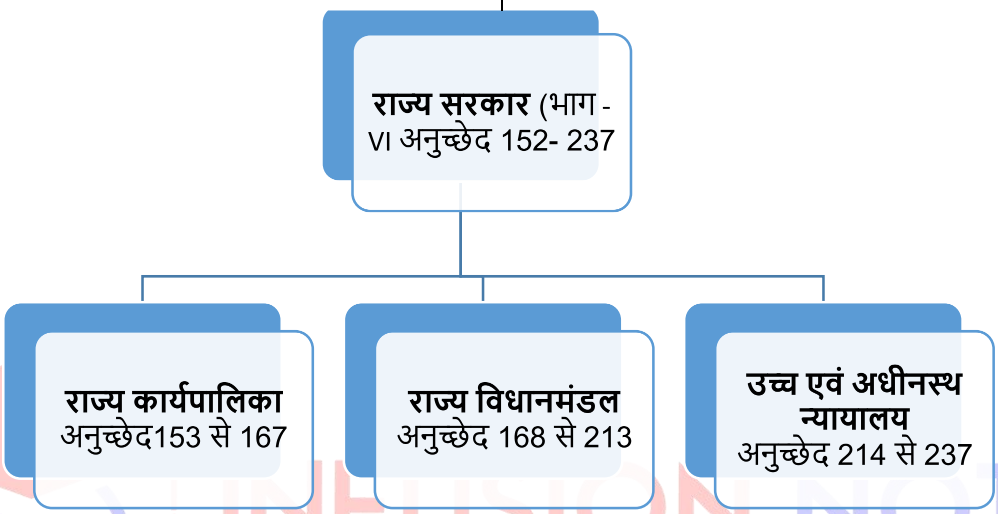

राज्य के तत्व

1. जनसंख्या (population) – राज्य मे जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमे कोई व्यक्ति नही रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमे एक निश्चित मात्रा मे जनसंख्या हो।

2.- निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)– राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नही की जा सकती।

3.- सरकार (government)– राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य मे सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नही कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

4.- संप्रभुता (sovereignity) – संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज मे अन्य तीन तत्वो के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नही बन सकता राज्य मे। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नही हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।

- *अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।* ***लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।***

- ***अनुच्छेद 154*** *के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन* ***अनुच्छेद 163*** *के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।*
- ***अनुच्छेद 155*** *के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।*

- ***राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।***

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –
(i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –
- *राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।*
- *राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।*
- *राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।*
- *सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।*
- *5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।*
- *राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।*

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –
- *इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में* ***कॉलेजियम व्यवस्था*** *होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।*

पूंछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश –
- *केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।*
- *राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।*
- *राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।*

राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 *इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है। अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।*

(1) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।

(2) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।

(3) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति कीअनुमति के लिये भेज देगा।

(4) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।

उत्तर – (1)

- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। **(अनुच्छेद 201)**
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है । यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करदें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होग

- **अनुच्छेद 213** जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। अध्यादेश का वही महत्व है जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश राज्यपाल का स्व- विवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायपालिका में चुनौती देने योग्य है। अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है- (i) निर्धारित अवधि में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर (ii) राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकते हैं।
- **अनुच्छेद 333** के तहत राज्यपाल उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राज्य विधानसभा में एक ऐंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। **(NOTE- 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को निरसित के दिया गया है ।)**

3. <u>वित्तीय अधिकार –</u>

- **अनुच्छेद 202** के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- **अनुच्छेद 198** के तहत विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 243 **I**-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 **Y**- नगर निकायों के लिए)
- **अनुच्छेद 267** के तहत राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है तथा इस निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।

4. <u>न्यायिक अधिकार –</u>

- **अनुच्छेद 161** राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडा देश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिस के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है । (अनुच्छेद 161)

  नोट – राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि **राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है** । इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडा देश के मामले

सुचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

राजस्थान में राज्यपाल

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- 30 मार्च,1949 – 31 अक्टूबर, 1956 तक राजस्थान में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह-II को नियुक्त किया गया जो राजस्थान के पहले राज्यप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है । 1 नवंबर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
- राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी ,दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभाराव तथा श्रीमती मार्गेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।
- राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद के कार्य काल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।

अधिरोपण की तारीख	प्रत्यावर्तन की तारीख	राष्ट्रपति शासन लागु होने का कारण
13 मार्च 1967	26 अप्रैल 1967	चुनाव के अनिश्चित परिणाम
29 अप्रैल 1977	22 जून 1977	सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूत हरी देव जोशी को ख़ारिज कर दिया।
16 फरवरी 1980	6 जून 1980	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत में समर्थन देने के बावजूद बरवसित कर दिया था।
15 दिसंबर 1992	4 दिसंबर 1993	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बरवसित कर दिया।

Q. राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्टपति शासन लागु किया गया है ? (RAS. Pre. 2015, 2016)

(a) 5 बार
(b) 3 बार
(c) 6 बार
(d) 4 बार
उत्तर – d

- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -

1. दरबारसिंह (वर्ष 1998)
2. निर्मलचंद्र जैन (वर्ष 2003)
3. शैलेंद्रकुमार (वर्ष 2009)
4. प्रभाराव (वर्ष 2010)

NOTE – श्रीमती प्रभाराव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई ।

- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **मदन लाल खुराना**
- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**

- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था।

राजस्थान के राज्यपालों की सूची –

क्र.	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	सवाई मानसिंह-II (प्रथम राजप्रमुख)	30 मार्च,1949 - 31 अक्टूबर,1956
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	1नवम्बर, 1956 – 15 अप्रैल, 1962
3.	डॉ.सम्पूर्णानंद	16 ,अप्रैल 1962 – 15 अप्रैल, 1967
4.	सरदार हुकुमसिंह	16 अप्रैल, 1967 – 19 नवम्बर, 1970
5.	जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 – 23 दिसम्बर, 1970
6.	सरदार हुकुमसिंह	24 दिसम्बर, 1970 – 30 जून, 1972
7.	सरदार जोगिन्दर सिंह	1 जुलाई, 1972 – 14 फरवरी, 1977
8.	जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15 फरवरी, 1977 – 11 मई, 1977
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 - 8 अगस्त, 1981
10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 – 5 मार्च, 1982
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985
12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 – 31 जनवरी, 1985
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 – 19 नवम्बर, 1985
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985 – 14 अक्टूबर, 1987
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 – 19 फरवरी, 1988
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 – 2 फरवरी, 1989
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 – 19 फरवरी, 1989

• नागरिक अधिकार - पत्र घोषणा पत्र

नागरिक घोषणापत्र (Citizen Charter) के बारे में -

- नागरिक घोषणापत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुँच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है ।
- यह पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है।
- यह सुशासन के तीन महत्त्वपूर्ण घटकों यथा- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- वर्ष 1992 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सिटीजन चार्टर की इस अवधारणा को पेश किया। नागरिक चार्टर के सिद्धांत इस प्रकार थे:

a. गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
b. जहाँ भी संभव हो विकल्पों को बढ़ाना
c. मानक: मानकों की पूर्ति हेतु निर्देशन
d. करदाताओं के पैसे का मूल्य
e. व्यक्तिगत लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही

सिटीजन चार्टर के भाग

सरकारी नागरिक चार्टर के नियमों और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता तीन भागों से बनती है।

A. विभाग का विजन और मिशन स्टेटमेंट
B. आई.टी.आई द्वारा विभाग और सेवाओं को पूरा किया गया
C. नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व

भारत में नागरिक घोषणापत्र

- ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिये वर्ष 1991 में नागरिक घोषणापत्र लागू किया गया।
- भारत में वर्ष 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिये नागरिक घोषणापत्र लाने के प्रयास किये जाएँ।
- इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणापत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणापत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें आदर्श नागरिक घोषणापत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए।
- इसके अनुसार घोषणापत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होने चाहिये:

1. विज़न एवं मिशन का विवरण।
2. संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण।
3. संगठन से जुड़े ग्राहक समूहों का विवरण।
4. ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण।
5. जन शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी।
6. चार्टर का सरल होना आवश्यक।

सेवा प्रदायगी में नागरिक घोषणापत्र की भूमिका

- सेवा प्रदायगी को बेहतर करना अर्थात् सार्वजनिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है।
- नागरिकों के प्रति अधिकारियों की ज़िम्मेदारी एवं जबावदेही को सुनिश्चित करता है।
- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जबावदेही को सुनिश्चित कर प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होता है ।
- नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहाँ संपर्क करना है।
- कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है।
- नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है।

D. सुशासन अधिनियम

उत्तर (C)

5. राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कब लागू हुआ ?

A. 01 अगस्त, 2012

B. 01 मई, 2012

C. 01 अप्रैल, 2012

D. 01 दिसम्बर, 2012

उत्तर (A)

विश्व राजनीति

अध्याय – 1

शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को **शीत युद्ध** के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कन्धा मिलाकर धूरीराष्ट्रों- जर्मनी, इटली और जापानके विरुद्ध संघर्ष किया था। किन्तु युद्ध समाप्त होते ही, एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी।

Note :- द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितम्बर 1939 से प्रारंभ होकर 2 सितम्बर 1945 तक मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्रों के मध्य हुआ ।

मित्र राष्ट्र – ब्रिटेन USA , सोवियत संघ , चीन आदि ।

धूरी राष्ट्र – जर्मनी, जापान , इटली आदि

रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी देश दो खेमों में बँट गये। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिन्द चीन की समस्या, यू-2 विमान काण्ड, क्यूबा मिसाइल संकट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने शीतयुद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन् 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गयी और शीत युद्ध की समाप्ति हो गयी।

शीत युद्ध का अर्थ

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अस्त्र-शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया। यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद

ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा।

शीत युद्ध एक प्रकार का वाक् युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया, यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने-अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ। अविश्वास व शंका की अन्तिम परिणति था।

शीतयुद्ध की उत्पत्ति

शीतयुद्ध के लक्षण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीतयुद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे, दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना प्रबलित हो गई थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीतयुद्ध के प्रमुख कारण थे, शीतयुद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

शीत युद्ध के उदय के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे

(1) ऐतिहासिक कारण -

सामान्यतः **शीत युद्ध** की उत्पत्ति का कारण सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति मानी जाती है। बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया तथा हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया।

(2) द्वितीय मोर्चे का प्रश्न -

द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा अत्यधिक हानि पहुँचाएं जाने पर स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें, लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल काफी समय तक टालते रहे । इससे स्टालिन की समझ में यह बात आ गई कि पश्चिमी देश रूस को नष्ट हुआ देखना चाहते हैं।

(3) युद्धोत्तर उद्देश्य में अन्तर -

सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के युद्धोपरान्त उद्देश्यों में भी अन्तर था । भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे।

(4) सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना -

सन् 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, लेकिन स्टालिन ने पोलैण्ड में अपनी संरक्षित लूबनिन सरकार लादने का प्रयत्न किया। उसने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रूमानिया से युद्ध-विराम समझौते और याल्टा और पोट्सडाम सन्धियों का उल्लंघन किया और मित्र राष्ट्रों से सहयोग करने से इन्कार कर दिया।

(5) रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण -

सोवियत संघ ने सन् 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर सोवियत रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और यहाँ सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था।

सर्वहारा :- यहाँ सर्वहारा से तात्पर्य समाज की नीचे वाली श्रेणी के लोगों से है जैसे – मजदूर

Note :- साम्यवादी :- साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है ।

(6) ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना —

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। युद्धोपरान्त सोवियत संघ ने वहाँ से सेना हटाने से इन्कार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहाँ से सेनाएँ हटाईं। इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए।

(7) यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप –

सन् 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्रों-अल्बानिया, यूगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि द्वारा यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परम्परागत राजतन्त्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी।

(8) टर्की पर सोवियत संघ का दबाव -

युद्ध के तुरन्त बाद सोवियत संघ नेरी के कुछ प्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परन्तु पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे।

(9) परमाणु बम का आविष्कार -

शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था। सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया। अतः इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

(10) सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार -

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार-पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया।

(11) पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान -

पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का कार्य किया। 18 अगस्त, 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि "हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना है।" अतः सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उग्र हो गए।

(12) बर्लिन की नाकेबन्दी -

सोवियत संघ द्वारा लन्दन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबन्दी कर दी गई। इसे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद् में रखा और शान्ति के लिए घातक बताया।।

(13) सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार-बार प्रयोग -

सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार-बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे।

वीटो – UNSC में 5 स्थायी देशों – चीन , फ्रांस , रूस , USA , ब्रिटेन को वीटो पॉवर प्राप्त है । वीटो का अर्थ है, "मैं अनुमति नहीं देता हूँ " यदि UN में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है और कोई एक स्थायी देश अपनी वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाता है ।

(14) सोवियत संघ की लैण्ड -

लीज सहायता बन्द करना-लैण्ड-लीज एक्ट के अन्तर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जा रही अल्प सहायता राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बन्द किए जाने पर सोवियत संघ असन्तुष्ट हो गया। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला।

(15) सैद्धान्तिक व वैचारिक संघर्ष -

यह एक वैचारिक संघर्ष था, क्योंकि अमेरिका एक पूँजीवादी राष्ट्र है, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी 'विश्व के मजदूरों एक हो जाओ' की साम्यवादी घोषणा 'बुर्जुआ पूँजीवादी व्यवस्था' को नष्ट करने का खुला ऐलान था।

यहाँ पूँजीवादी राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है । अर्थात् जिन राष्ट्रों में उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूँजीवादी
उद्योगों में कार्यरत होता है । तथा निजी सम्पत्ति का अधिकार होता है ।

(16) शक्ति संघर्ष -

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ-अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों

उल्लेखनीय है कि इजरायल, अमेरिका का पहले से ही प्रभावशाली मित्र था।

4. अंजुस (ANZUS)

- एशिया प्रशांत क्षेत्र में नॉटो का संस्करण, शीतयुद्ध के दौरान इसकी स्थापना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मिलकर की गयी। यह उल्लेखनीय है कि चीन के साम्यवादी होने और कोरियाई संकट (1950) के बाद अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध था।

• संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध –

- विश्व राजनीति में USA का वर्चस्व –
- विश्व राजनीति में यदि कोई देश इतना शक्तिशाली हो जाये कि वह अन्य देशों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर ले तब इस अवधारणा को वर्चस्व कहा जाता है।

वर्चस्व तीन प्रकार से स्थापित किया जाता है –

(1) सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व
(2) आर्थिक शक्ति के रूप में वर्चस्व
(3) सांस्कृतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व

सैन्य शक्ति के रूप में –

शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात USA ने यह वर्चस्व स्थापित किया। 1990 ई. में जब ईराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तब USA ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया जिससे पहला खाड़ी युद्ध प्रारम्भ हुआ।

USA ने इस युद्ध में अपने अभियान operation Desert storm तथा operation desert shield चलाये।

इस युद्ध में अत्याधुनिक तकनीकों व हथियारों का प्रयोग किया गया इसलिए इस युद्ध को 'कम्प्यूटर युद्ध' की संज्ञा दी गई।

इसके अलावा इस युद्ध का प्रसारण पूरे विश्व में किया गया।

इसलिए इसे video game युद्ध भी कहा जाता है।

- 1998 में तंजानिया के दार एस सलाम तथा केन्या के नैरोबी में USA के दूतावासों पर आंतकी हमले किए गये। इसका बदला लेने के लिए USA ने 'operation infinite reach' शुरू किया जिसके तहत् सूडान और अफगानिस्तान पर हमले किये गये।
- 11 सितम्बर 2001 को USA पर आतंकवादी हमला हुआ। ये हमले ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा द्वारा किये गये।
- इसकी प्रतिक्रिया में USA ने operation enduring freedom लांच किया। तथा अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को सत्ता से हटा दिया।
- 2003 में USA ने ईराक पर हमला किया। इसे 'ईराकी फ्रीडम' नाम दिया गया। इस हमले का घोषित उद्देश्य नरसंहार के हथियारों को समाप्त करना था परन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य ईराक के तेल संसाधनों पर अधिकार करना था। इस युद्ध में लगभग 50,000 लोग मारे गये तथा सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें 2006 में फाँसी दे दी गई।
- हाल ही में चल रहे रूस – यूक्रेन युद्ध में भी USA ने यूक्रेन की बढ़ चढ़कर सहायता की है।

(II) आर्थिक शक्ति के रूप में USA का वर्चस्व –

USA विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व के प्रमुख वित्तीय वैश्विक संस्थानों पर USA का वर्चस्व है।

जैसे – IMF, विश्व बैंक, आदि।

वैश्विक व्यापार में भी USA का हिस्सा लगभग 15% है जिससे संरक्षणवादी व उदारवादी व्यापारिक नीतियों को प्रभावित किया जाता है। यहाँ तक की WTO के निर्णय भी USA की सहमति से लिये जाते है। USA की मुद्रा डालर का प्रयोग वैश्विक भुगतानों के लिए किया जाता है। USA, वैश्विक व सार्वजनिक वस्तुओं को भी नियंत्रित करता है जैसे – समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट, वैश्विक सूचनाएँ आदि।

(III) सांस्कृतिक शक्ति के रूप में –

USA के द्वारा विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को प्रचलित किया गया जैसे –

(1) सफलता का सिद्धांत
(2) आधुनिकता की अवधारणा
(3) लोकतांत्रिक शासन

(I) USA के वर्चस्व में प्रतिरोध या बाधाएँ –

(1) अमेरिकी संविधान शक्ति के पूर्ण पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात् कार्यपालिका कभी भी सर्वशक्तिशाली निकाय नहीं बन सकता।

6. विगत दशक में भारत पाकिस्तान संबंधों में आए परिवर्तनों पर लेख लिखिए ।
7. उन आधारों पर टिप्पणी कीजिए जो UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करते हैं ?
8. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अमेरिया का वर्चस्व हमेशा बना रहेगा ? अपने विचार स्पष्ट कीजिए ।
9. सार्क क्या है ? इसके उद्देश्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए ।
10. गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ? इस आंदोलन में भारत की भूमिका को समझाइये ।

अध्याय – 3

दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक

1. पश्चिमी- एशिया और भारत

 # पश्चिमी एशिया के देश → आर्मेनिया, अजरबेजान, बहरीन, साइप्रस, जार्जिया, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ।

 # पश्चिमी एशिया में भारत के हित→

- भारत द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र से किया जाता है।
- बड़ी संख्या में भारतीय पश्चिमी एशिया में रोजगार प्राप्त करते है ।
- भारत को सर्वाधिक धन प्रेक्षण इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अतः यह भारत की विदेशी मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- भारतीय निर्यातों के लिये बाजार उपलब्ध होते है।
- पश्चिमी एशिया के कई देशों द्वारा भारत में निवेश किया जाता है। जैसे - सऊदी अरब द्वारा भारत में $100 बिलियन के निवेश की घोषणा की है ।
- इन देशों के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है ।
- अरब सागर की सुरक्षा हेतु यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

 # अरब स्प्रिंग→ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के वे देश जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। अरब देश कहलाते हैं। इन देशों में तानाशाही शासन को लोकतंत्र से प्रतिस्थापित किया गया। इस घटना को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है।

इसकी शुरुआत दिसम्बर, 2010 में ट्यूनिशिया से हुई। जहाँ मोहम्मद अली बेन का तानाशाही शासन समाप्त कर दिया गया ।

इसके पश्चात् मिश्र के लोगों ने तानाशाह होशनी मुबारक का तथा लीबिया में गद्दाफी का शासन समाप्त किया गया।

यमन के तानाशाह अब्दुल्ला सालेह का शासन भी समाप्त कर दिया गया ।

सीरिया में बशर-अल- असाद का तानाशाही शासन था जिसे सत्ता से हटाने लिये सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव लाया गया, परन्तु उसे रूस द्वारा वीटो कर दिया गया। इसी कारण सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत हुई।

यमन का संकट → यमन के तानाशाह अब्दुल्ला सालेह के शासन में एक शिया नेता अल हुति ने अलगाववादी आंदोलन शुरू किया। इसके अनुयायियों को हुति विद्रोही कहा जाता है ।

अरब स्प्रिंग के समय अब्दुल्ला सालेह को सत्ता से हटा दिया गया तथा मसूर हदी सऊदी अरब के सहयोग से यहाँ के राष्ट्रपति बने । इसके शासन के दौरान हुति विद्रोही सशक्त होने लगे तथा उन्होंने यमन के एक बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया। जिसके कारण मंसूर हदी को सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। सऊदी अरब के नेतृत्त्व में सुन्नी देशों का संगठन बनाया गया, जिसने यमन पर हवाई हमले किये। इन हमलों से पूर्व भारत ने अपने नागरिकों को यमन से निकाल लिया। इसे "ऑपरेशन राहत" नाम दिया गया।

इन हमलों के कारण यमन में एक आर्थिक मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। यमन को मिलने वाली खाद्य सहायता भी रोक दी गई, क्योंकि हमलों में यमन का होदीदा बंदरगाह भी नष्ट हो गया ' UN की मध्यस्थता से होदीदा बंदरगाह को पुनः शुरू करने के लिये एक समझौता किया गया। यद्यपि यह लागू नहीं हो सका ।

भारत पर यमन संकट के प्रभाव : -

(1) यमन में रहने वाले भारतीयों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न होगा।

(2) शिया-सुन्नी विवाद बढ़ेगा ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा।

(4) ईरान व सऊदी अरब के मध्य संघर्ष बढ़ा है।

(5) इस संकट का लाभ आतंकवादी संगठन आतंकवादी संगठन अलकायदा को हुआ है ।

 # चाबहार बंदरगाह :-

यह बंदरगाह ईरान में स्थित है जिसे भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। बंदरगाह के साथ - साथ चाबहार SEZ एवं चाबहार जाहेदा रेल लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है ।

भारत के लिए इसका महत्व →

(1) भारत ईरान संबंध सुदृढ़ होंगे।

(2) पश्चिमी एशिया में भारत की बहुपक्षयिता की नीति को बल मिलेगा।

(3) भारत का आयात - निर्यात बढ़ेगा।

(4) ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सकता है ।

(5) अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया से सम्पर्क स्थापित होगा।

 # गल्फ - को- ऑपरेशन काउंसिल (GCC) / खाड़ी सहयोग संगठन –

स्थापना - 1981 में ।

मुख्यालय - रियाध (सऊदी अरब)

सदस्य देश सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान

यह पश्चिमी एशिया में सुन्नी देशों का संगठन है

 # (organaisation of petrolium exporting Countries - OPEC)

स्थापना – 1960 - ई.

सदस्य देश - 13 (कतर के बाहर होने के बाद)

मुख्यालय - विएना (ऑस्ट्रिया)

कार्य - अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करना । इसके लिये तेल की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।

 # प्रथम अरब- इजरायल युद्ध :-

14 मई 1948 में येरुशलम क्षेत्र को ब्रिटेन द्वारा आजाद करने से इसी दिन इजरायल नामक नये देश की स्थापना हुई।

15 मई 1948 को अरब देशों ने इजरायल पर आक्रमण कर दिया । यह युद्ध लगभग 1 वर्ष तक चला । इसे प्रथम अरब – इजरायल युद्ध कहते है।

six - Day war

5 जून 1967 से 10 जून 1967 के मध्य यह युद्ध इजरायल और अरब देशों के गठबंधन के बीच हुआ।

इस युद्ध में इजरायल की जीत हुई। तथा इजरायल ने गांजा पट्टी, वेस्ट बैंक येरुशलम, गोलन पहाडियों तथा सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया ।

 # कैम्प डेविड समझौता –

1978 में यह समझौता USA की मध्यस्थता से इजरायल और मिश्र में हुआ था। मिश्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस दे दिया गया। 1979 में मिश्र और

भारतीय सरकार रोहिंग्याओं को अवैध घुसपैठियाँ मानती है क्योंकि इन्होंने म्यांमार से सीधे प्रवेश न करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया है।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व : -

(1) प्रवेश म्यांमार को दक्षिण - पूर्वी एशिया का द्वार कहा जाता है '

(2) इसके माध्यम से उत्तर - पूर्वी राज्यों से जुडने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होता है।

(3) उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए।

(4) उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। जिन्हें म्यांमार में शरण मिलती है। इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म्यांमार का सहयोग आवश्यक है।

(5) भारत और म्यांमार के बीच 1643 km लंबी सीमा है। जिसके प्रबंधन हेतु म्यांमार का सहयोग आवश्यक है।

(6) Look east और Art east नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु म्यांमार का सहयोग आवश्यक है।

(7) म्यांमार के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध है।

(8) भारतीय समुदाय के कई लोग म्यांमार में निवास करते हैं -

महत्वपूर्ण प्रश्न :-

Q1. पश्चिम एशिया के किन्हीं पाँच देशों के नाम लिखिए ।

Q2. पश्चिमी एशिया में भारत के हितो को समझाइये।

Q3. यमन संकट क्या है? प्रकाश बलिए ।

Q.4 'अरब स्प्रिंग' को समझाइये ।

Q.5 भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का क्या महत्व है?

Q.6 खाड़ी सहयोग संगठन में कौनसे देश सम्मिलित हैं?

Q.7 अरब देशों व इजरायल के मध्य चले संघर्ष का वर्णन कीजिए।

Q.8 अब्राहम समझौता क्या है?

Q.9 भारत के लिए म्यांमार का क्या महत्व है?

Q.10 म्यांमार में चले लोकतंत्र के लिये संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना में व्याप्त बाधाओं को समझाइये ।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET (Graduation)-2023 - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Rajasthan CET Gradu. Level	07 Janu.2023(1st shift)	96 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/uwc5lp

Online order - https://bit.ly/3X6MGue

Call करें 9887809083